सलंग्नक-1

सम्मिलित है। अतएव रु. 1.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।

2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संख्या-3381(1)/5-6-04 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

आज्ञा से, जय प्रकाश पाण्डेय, अनु सचिव।

[redacted] लखनऊ : दिनांक 07 दिसम्बर, 04

चिकित्सा अनुभाग-6

विषय : उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1942/5-6-2003-294/96 दिनांक 29.08.03 जिसके द्वारा उ.प्र. शासन की सेवा से सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों/ अधिकारियों, जो स्थायी रूप से दिल्ली में निवास कर रहे हैं, एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ को अधिकृत किया गया था, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी, जो उत्तरांचल राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, के स्वयं तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल बरेली एवं सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को अधिकृत किया जाता है।

2-उक्त व्यवस्था के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य में निवास कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे उनके विभागाध्यक्ष द्वारा तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल बरेली अथवा सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को प्रेषित किये जायेंगे।

3-शासनादेश संख्या-1942/5-6-03-294/96, दिनांक 29.08.03 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4-यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

सिद्धार्थ बेहरा, प्रमुख सचिव।

[redacted] लखनऊ : दिनांक 4 अप्रैल, 2003

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

विषय: मकान, किराया भत्ते की अनुमन्यता के संबंध में।

शासनादेश संख्या जी-1-1795/दस-81-209/81, दिनांक 15-12-81 के प्रस्तर-4(2) में यह व्यवस्था है कि "यह भत्ता उन सरकारी सेवकों को नहीं दिया जायेगा जो सरकार द्वारा दिये गये निवास गृह में, जिनमें पुलिस हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्मित भवन भी शामिल हैं, रहते हों या जिन्हें सरकार द्वारा निवास गृह दिया गया हो किन्तु जिन्होंने उसे लेने से इंकार कर दिया हो या जिन्हें सरकार आवास आवंटित किया गया हो, परन्तु दुरुपयोग के कारण आवास का आवंटन निरस्त कर दिया गया हो या जो आवंटित सरकारी आवास स्वयं छोड़कर अन्य गैर सरकारी किराये के आवास में चले गये हों," उपर्युक्त व्यवस्था के कारण शासकीय आवास छोड़कर सी.एस. आई. ट्रांजिस्ट हास्टल, गोमती नगर, लखनऊ में रह रहे अधिकारियों को आवास किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है जबकि यह अधिकारी सी.एस.आई., लखनऊ द्वारा निर्धारित किराये का भुगतान कर रहे हैं।

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर सी.एस.आई. ट्रांजिट हास्टल की विशिष्ट परिस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी सेवक सरकारी आवास को छोड़कर सी.एस.आई. ट्रांजिट हास्टल, गोमती नगर, लखनऊ में रहता है और वह प्रश्नगत आवासों का किराया अपने मासिक वेतन के 10 प्रतिशत तक देता है तो मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं होगा किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक किराया देने की दशा में सरकारी सेवक को वेतन के 10 प्रतिशत तक किराया स्वयं वहन करना होगा और उसके ऊपर निर्धारित सीमा तक निर्धारित शर्तों के अधीन मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा।

आनन्द मिश्र, सचिव।